

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

0- कौली

आज जमीन का जमावकी क्र-2070-73 के खाता 65, 65 में जमीन का नाम भरोसी पुन रामजीलाल है। जबकि आज नामांकित रिपोर्ट 04-06-1992 में भी भरोसी पुन रामजीलाल विरासत हैक है। आजकल द्वारा यह भरोसी की जगह राम भरोसी पुन रामजीलाल करने का आदेश देना किमा जमावकी करण भरोसी पुन रामजीलाल की रिपोर्ट के नाम पर है।

रिपोर्ट के नाम पर है।
01/07/17

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी इ.ग.के.ड. क्र-248 इ.ग.के.ड. के अंतर्गत खोड्डा भरोसी के खाता पर रामभरोसी भुदू किमा जमावकी है।

तहसीलदार (भूअभि०)
तहसील सपोटरा (कौली)

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, ड.ए.ए., तहसीलदार सपोटरा एवं जल्लुत हस्वले के आचारपर जायनायब जमीन हकीकार किमा जमावकी है। हकीकार के आदी है। पञ्चायती फेल्लल सुमा होफ्त नम्बर है।

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-कौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सपोडा

जामखोडा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जामखोडा व भूअ.नि. सपोडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोडा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जामखोडा तहसील सपोडा जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2010-13 में खाता संख्या 64.65 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>जामखोडा</u>	<u>64.65</u>	<u>भरोली कुल</u> <u>शम्भजीलाल</u>	<u>शम्भरी कुल</u> <u>शम्भजीलाल</u>

पीठासीन अधिकारी (SDM)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

सपोडा जिला करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक:- 06/07/2017

क्रमांक:- सपोडा/2017/122-24
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शम्भरी कुल शम्भजीलाल को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। नि0 जामखोडा

— 50 —
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी (राज0)
सपोडा जिला करौली (राज0)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,